कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-1584/ 14-1, दिनांक 29 नवम्बर, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- अमरोहा में बदॉयू-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस0एच-51)किमी0 115.123 की दांयी पटरी पर ग्राम मंसूरपुर, तहसील हसनपुर के खाता संख्या-187 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-496/ अमरोहा दिनांक 7.9.2016.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव में आप द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है अतः प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त मूल प्रस्ताव की 3 प्रतियां अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है :-

Observation .No	Observation of GOI	Reply /Modification (संशोधन/निराकरण)
1.	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोसीट पर टाइटिल शीर्षक अंकित नहीं है।	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोसीट पर टाइटिल शीर्षक अंकित कर दिया गया है। **(पेज संख्या-54,54(अ)संलग्न है)**
2.	प्रभागीय वनाधिकारी, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।	प्रभागीय वनाधिकारी, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। **(पेज संख्या-34 संलग्न है)**
3.	संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न नहीं है।	संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है। **(पेज संख्या-24 संलग्न है)**
4.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं है। 10 वर्षों के अनुरक्षण एवं प्रति वर्ष अनुमानित वृद्वि का समावेश करते हुए विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित संलग्न है। **(पेज संख्या-42से 43संलग्न है)**
5.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का डिजीटल मेप kml file/Shp file संलग्न नहीं है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का डिजीटल मेप kml file/Shp file संलग्न है। **(पेज संख्या-51से 55संलग्न है)**
6.	प्रस्ताव के साथ संलग्न एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है ईको क्लास के अनुसार संशोधित गणना संलग्न करें।	एन0पी0वी0 की गणना ईको क्लास के अनुसार संशोधित कर संलग्न है। **(पेज संख्या-41 संलग्न है)**
7.	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, के प्रमाण-पत्र में पत्रांक व हस्ताक्षर के साथ सील अंकित नहीं है।	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, के प्रमाण-पत्र में पत्रांक व हस्ताक्षर के साथ सील अंकित कर दी गयी है। **(पेज संख्या-35संलग्न है)**
8.	प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजीटल मेप अनुमादित ले-आउट प्लान के अनुरूप नहीं है ले-आउट प्लान से मेल खाता डिजीटल मेप जो प्रस्तावक व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	ले-आउट प्लान से मेल खाता डिजीटल मेप जो प्रस्तावक व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर संलग्न हैं। **(पेज संख्या-51 संलग्न है)**
9.	ऑनलाइन पार्ट-1 में बिन्दु -बी-2.1 एवं सी में प्रभाग का नाम अमरोहा अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट-1 में बिन्दु -बी-2.1 एवं सी में प्रभाग का नाम जे0पी0नगर इन्टरनेट पर फीड हैं जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
10.	ऑनलाइन पार्ट-2 के बिन्दु -15 एवं 16 में प्रभाग एवं वृत्त का नाम त्रुटिपूर्ण है।	ऑनलाइन पार्ट-2 में बिन्दु -15 एवं 16 में प्रभाग एवं वृत्त का नाम इन्टरनेट पर फीड हैं जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।

11.	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु –2 में प्रभाग का नाम अमरोहा अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु –2 में प्रभाग का नाम इन्टरनेट पर फीड हैं जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
12.	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु –13(1) की सूचना अपलोड नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु –13(1) की सूचना अपलोड कर दी गयी है। **(पेज संख्या–9 संलग्न है)**
13.	ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन प्रस्ताव के पार्ट–2 में अंकित वनस्पतिक घनत्व में भिन्नता है।	ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन प्रस्ताव के पार्ट–2 के बिन्दु –4(1) में अंकित वनस्पतिक घनत्व में भिन्नता सही कर दी गयी है। **(पेज संख्या–8 संलग्न है)**
14.	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु –14 में दिनांक– 1.4.2012 तक की सूचना अंकित है। अध्यावधिक सूचना अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु –14 में अध्यावधिक सूचना अंकित कर दी गयी है। **(पेज संख्या–10 संलग्न है)**
15.	ऑनलाइन पार्ट–3 के बिन्दु –16 पर अंकित वृत्त का नाम त्रुटिपूर्ण है।	ऑनलाइन पार्ट–3 में बिन्दु –16 में वृत्त का नाम इन्टरनेट पर फीड हैं जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।
16.	प्रस्ताव के पृष्ठ–49 एवं 50 पर संलग्न अनावश्यक अभिलेख को प्रस्ताव से प्रथक कर दें।	प्रस्ताव के पृष्ठ–49 एवं 50 प्रस्ताव से प्रथक कर दिये गये है।
17.	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों एवं विषय सूची पर पृष्ठ संख्या संशोधित करें।	प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों एवं विषय सूची पर पेज संख्या संशोधित कर दी गयी है।

संलग्नक–यथोपरि (प्रस्ताव की 3 प्रतियां मूल में एवं 3 सी0डी0)।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः– 1. प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्र संख्या–1134 / 14.–1दिनांक 25.11.2016 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) तत्काल मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकरी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– 2. प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 आबू का मकबरा, केसरगंज मेरठ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।